

## भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ और सख्त कदम उठाने की जरूरत : अक्षय खेतान

जयपुर। अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराने वाली अग्रणी संस्था, एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज ने भारत में साइबर-बुलीइंग के खतरे का सामना कर रहे हर व्यक्ति की अनमोल जिंदगी बचाने और उसकी हिफाजत करने के लिए, साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध एवं साइबर उत्पीड़न के क्षेत्र में नई राह दिखाने वाली पहल की शुरुआत की है। टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क, बातचीत करने और जानकारी साझा करने के तरीके में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, टेक्नोलॉजी में इस जबरदस्त प्रगति ने साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न जैसी नई चुनौतियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जो भारत के साथ-साथ दुनिया भर में एक बड़ी सामाजिक चुनौती के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं। भारत जैसे देश में ये समस्याएं विशेष रूप से गंभीर हैं, जहाँ इंटरनेट के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। परंतु सामने आने वाले ऑनलाइन खतरों की तुलना में इसे नियमों के दायरे में लाने वाली व्यवस्था और जागरूकता काफी पीछे है।

